



संख्या— / जी०एस०/शिक्षा/ A11-78 /2017

प्रेषक,

डा० भूपिन्दर कौर औलख,  
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,  
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड  
महोदय,

देहरादून : दिनांक : 13 फरवरी, 2017

आपके पत्र संख्या 666/SDSUV/Aff-2015-16 दिनांक 13.06.2015 एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की पत्रावली संख्या 22(06)2009 की संस्तुति के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल/कुलाधिपति जी द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-6 की धारा-33 (1) के अधीन निम्न महाविद्यालय को स्तम्भ-3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में इंगित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है।

क्र०सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	वीर राहीद केसरी चन्द्र राजकीय महाविद्यालय, डाकपत्थर देहरादून	बी०ए० (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र एवं इतिहास) (गृह विज्ञान) बी०कॉम० बी०एससी० (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित) बी०एससी० (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान)	प्रत्येक विषय हेतु 80-80 सीट 60 सीट 80 सीट (एक सैक्शन) प्रत्येक विषय हेतु 60-60 सीट	शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु (संध्याकालीन पाली में संचालन हेतु)

1. महाविद्यालय द्वारा अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का एक प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय/शासन एवं कुलाधिपति के आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।
3. पाठ्यक्रम में अग्रेत्तर अवधि विस्तारण हेतु सभी मानक पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात् ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी।

भवदीय,

( डा० भूपिन्दर कौर औलख )  
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 4717 (1)/जी०एस०/शिक्षा/ A11-78 /2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 अपर सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2 निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
- 3 उच्च शिक्षा विभाग की पत्रावली हेतु।
- 4 प्राचार्य, सम्बन्धित महाविद्यालय तथा कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

( विक्रम सिंह यादव )

उपसचिव राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय।